रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032022-233967 CG-DL-E-07032022-233967

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] No. 172] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2022/फाल्गुन 16, 1943 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2022/PHALGUNA 16, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2022

सा.का.नि. 175(अ).—केन्द्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 59 की उप-धारा (4) तथा धारा 64 के खंड (एनसी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को प्रस्तावित करती है, इन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसुचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इन प्रारूप नियमों से संबंधित आपित्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन और टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को अथवा

ईमेल से: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

- 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (...... संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

1540 GI/2022 (1)

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) नियम 58 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत: -

"58ए वाहन स्क्रैपिंग के लिए अदेयता –

- (1) मोटर वाहन के मालिक द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (सुविधा केंद्र) के माध्यम से वाहन स्क्रैपिंग के लिए "अदेयता" प्रदान करने के लिए, मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) के नियम, 2021, के तहत निर्धारित वाहन पोर्टल पर फॉर्म 28ए में एक इलेक्ट्रॉनिक आवेदन उस राज्य के किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण को किया जाएगा जहां वाहन वर्तमान में पंजीकृत है।
- (2) उप-नियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण प्राधिकारी बशर्ते कोई कर, चालान, आपराधिक मामला, वाहन से संबंधित दुर्घटना का मामला लंबित न हो और वाहन भाड़ा-क्रय/भाड़ाक्रांति/पट्टा करार के अधीन नहीं रखा गया हो, के अध्यधीन पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने के छह दिनों के भीतर फॉर्म 28बी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वाहन स्क्रैपिंग के लिए "अदेयता" प्रदान करेगा, इसमें विफल होने पर आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा और पोर्टल द्वारा वाहन स्क्रैपिंग के लिए "अदेयता" प्रदान किया गया माना जाएगा।
- (3) वाहन स्क्रैपिंग की "अदेयता" इसके जारी होने की तारीख से 30 दिनों तक वैध होगी।
- (4) जमा प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि तक ऐसे वाहन के संबंध में हुई किसी भी घटना के लिए वाहन मालिक जिम्मेदार होगा।
- (5) यदि पंजीकरण प्राधिकारी उक्त आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो वह वाहन मालिक को इसका विशिष्ट कारण और आगे की कार्रवाई की जानकारी प्रदान करेगा।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 52क के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत: -

"52बी पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्वैच्छिक आधार पर रद्द करना –

- (1) पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक आवेदन, फॉर्म 25ए में पोर्टल पर उस राज्य के किसी भी पंजीकरण प्राधिकारी को भेजा जाए जहां वाहन वर्तमान में पंजीकृत है, साथ ही वाहन स्क्रैपिंग के लिए "अदेयता" तथा मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 के तहत फॉर्म 2 में जारी जमा प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।
- (2) उपनियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण प्राधिकारी पोर्टल पर जमा प्रमाण पत्र और वाहन स्क्रैपिंग के लिए "अदेयता" को सत्यापित करने के बाद, पोर्टल पर आवेदन जमा करने के सात दिनों के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर देगा। ऐसा न करने पर आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा।
- (3) पंजीकरण के रद्द किए जाने को वास्तविक समय में पोर्टल पर दर्शाया जाएगा और यह मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर में स्वतः अद्यतन हो जाएगा।
- (4) वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र सृजित होने के 30 दिनों के भीतर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र, मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 के तहत फॉर्म 4 में जारी वाहन स्क्रैपिंग के प्रमाण पत्र के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र की वास्तविक प्रति राज्य के किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण को भेजेगी जिसमें वाहन पंजीकृत हो।
- 4. उक्त नियमों में, फार्म 25 के बाद, निम्नलिखित फार्म अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"फार्म 25ए"

[देखें नियम 52बी]

मोटर यान के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने का आवेदन

सेव	т में,	
पंर्ज	ोकरण प्राधिकरण,	
मैं/ह	र्म	एतद्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए आवेदन
कर	ता हूं जिसका विवरण इस प्रकार है:-	
1	वाहन पंजीकरण संख्या	
2	जारी किए जाने की तिथि	
3	पंजीकरण प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया था/अंतिम बार नवीकृत किया गया था	
4	वाहन की श्रेणी	
5	चैसिस नम्बर	
6	बैटरी से चलने वाले वाहनों के मामले में इंजन नंबर या मोटर नंबर	
7	जमा प्रमाण पत्र संख्या	
8	वाहन स्क्रैपिंग के लिए "अदेयता" देने की संख्या	
9	वाहन जमा करने की तिथि	
10	आरवीएसएफ का नाम	
11	वाहन पोर्टल पर आरवीएसएफ का यूनिक आईडी	
12	आरवीएसएफ / नामित संग्रहण केंद्र का स्थान	
13	आरवीएसएफ का ई-मेल	
		प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
		(डिजिटल/ ई- हस्ताक्षर)
तिर्वि	थे:	
		पता"

5. उक्त नियमों में, फार्म 28 के बाद, निम्नलिखित फार्म अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"फार्म 28ए

[देखें 58ए (1)]

वाहन स्क्रैपिंग के लिए अदेयता प्रदान करने का आवेदन

सवा	н,					
पंजी	करण प्राधिकरण,					
मैं अ	पने वाहन को स्क्रैप करना चाहता हूं और इसलिए वाह	न स्क्रैपिंग के लिए "अदेयता" प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।				
जिस	ावाहन को मैं स्क्रैप करना चाहता हूं उसका विवरण इस	प्रकार है:				
1	पंजीकृत मालिक का नाम					
2	पंजीकृत मालिक का पता					
3	पंजीकृत मालिक का मोबाइल नंबर					
4	पंजीकृत मालिक का ईमेल					
5	वाहन पंजीकरण संख्या					
6	वाहन की श्रेणी					
7	चैसिस नम्बर					
8	बैटरी से चलने वाले वाहनों के मामले में इंजन नंबर या मोटर नंबर					
9	आरवीएसएफ का नाम जिसे स्क्रैपिंग के लिए वाहन सौंपा जाना है					
10	वाहन पोर्टल पर आरवीएसएफ का यूनिक आईडी					
11	आरवीएसएफ / नामित संग्रहण केंद्र का स्थान					
12	आरवीएसएफ का ई-मेल	_				
तिशि	गे:					
		हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/				
		पंजीकरण प्राधिकरण का ई-मेल"				
	फा	र्म 28ख				
	[देखें 58क (2)]					
	वाहन स्क्रैपिंग के लि	ाए अदेयता प्रदान करना				
वाह	न पंजीकरण संख्याके संबंध में वाह	न स्क्रैपिंग के लिए "अदेयता" एतद्वारा प्रदान किया जाता है।				
इस	वाहन का विवरण इस प्रकार है:-					
1	वाहन स्क्रैपिंग के लिए "अदेयता" देने की संख्या					
2	वाहन स्क्रैपिंग के लिए "अदेयता" देने की तिथि					
3	प्रदाता प्राधिकरण का नाम					
4	प्रदाता प्राधिकरण का राज्य					

5	पंजीकृत मालिक का नाम	
6	पंजीकृत मालिक का पता	
7	पंजीकृत मालिक का मोबाइल नंबर	
8	पंजीकृत मालिक का ईमेल	
9	वाहन पंजीकरण संख्या	
10	वाहन की श्रेणी	
11	चैसिस नम्बर	
	बैटरी से चलने वाले वाहनों के मामले में इंजन नंबर या	
	मोटर नंबर	
13	आरवीएसएफ का नाम जिसे स्क्रैपिंग के लिए वाहन	
	सौंपा जाना है	
	वाहन पोर्टल पर आरवीएसएफ का यूनिक आईडी	
15	आरवीएसएफ / नामित संग्रहण केंद्र का स्थान	
16	आरवीएसएफ का ई-मेल	

तिथि:

पंजीकरण प्राधिकारी का हस्ताक्षर/ डिजिटल हस्ताक्षर/ई-मेल"

[फा. सं. आरटी-23013/01/2018-टी] अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.िन 590 (अ), दिनांक 2 जून, 1989 के तहत प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या द्वारा......(ई), दिनांक द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2022

G.S.R. 175(E).—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 59 and clause (nc) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (...... Amendment) Rules, 2022.
 - (2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 58, the following rule shall be inserted, namely: -

[&]quot;58A No dues for vehicle scrapping -

To

The Pagistaring Authority

- (1) An electronic application by the owner of a motor vehicle through the registered vehicle scrapping facility (facilitation centre), for the grant of "no dues" for vehicle scrapping, shall be made on Vahan portal as prescribed under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, in Form 28A to any registering authority of the state in which the vehicle is currently registered.
- (2) On receipt of an application under sub-rule (1), the registering authority subject to no pendency of any tax, challan, criminal case, accidental case on vehicle and if vehicle is not held under hire-purchase/ hypothecation/ lease agreement, shall grant "no dues" for vehicle scrapping electronically in Form 28B, within six days of submission of application on the portal, failing which the application shall be deemed to be approved and "no dues" for vehicle scrapping shall be deemed to be granted through the portal.
- (3) "No dues" for vehicle scrapping shall be valid up to 30 days from the date of its issuance.
- (4) Vehicle owner shall be held responsible for any incident regarding such vehicle till the date of issue of Certificate of deposit.
- (5) In case the registering authority rejects the said application, it shall provide the vehicle owner with specific reasons for the same and further course of action."
- 3. In the said rules, after rule 52A, the following clause shall be inserted, namely: -

"52B Voluntary cancellation of certificate of registration -

- (1) An electronic application by the registered vehicle scrapping facility, for the cancellation of certificate of registration, shall be made on the portal to any registering authority of the state in which the vehicle is currently registered, in Form 25A, accompanied by "no dues" for vehicle scrapping and the Certificate of Deposit issued in Form 2 under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.
- (2) On receipt of an application under sub-rule (1), the registering authority after verifying the certificate of deposit and "no dues" for vehicle scrapping on the portal, shall cancel the certificate of registration within seven days of submission of application on the portal, failing which the application shall be deemed to be approved.
- (3) Cancellation of registration shall be reflected on the portal in real time and shall be auto updated in the national register of motor vehicles.
- (4) Registered vehicle scrapping facility will send the physical copy of registration certificate along with Certificate of Vehicle Scrapping issued in Form 4 under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 to any registering authority of the state in which vehicle is registered, within 30 days of generation of Certificate of Vehicle Scrapping."
- 4. In the said rules, after Form 25, the following form shall be inserted, namely: -

"FORM 25A

[See rule 52B]

APPLICATION FOR CANCELLATION OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OF A MOTOR VEHICLE

1 11	e Registering Authority,			
	I/wehereby apply for the cancellation of certificate of registration the particulars of which are as follows:			
1	Vehicle registration number			
2 3	Date of issue			
3	Registering Authority by which the certificate was issued/last renewed			
4	Class of vehicle			
<u>4</u> 5	Chassis No			
6	Engine number or motor number in the case of Battery-Operated Vehicles			
7	Certificate of deposit number			
8	Grant number of "no dues" for vehicle scrapping			
9	Date of deposit of vehicle			

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र	त्र : असाधारण 7		
10 Name of RVSF			
11 Unique ID of RVSF in Vahan portal			
12 Place of RVSF / designated collection centre			
13 Email of RVSF			
	Authorised Signatory		
	(Digital/ e signature)		
Date:			
	Address"		
5. In the said rules, after Form 28, the following forms shall	be inserted, namely: -		
"FORM	M 28A		
[See rule 5	58A (1)]		
APPLICATION FOR THE GRANT OF N	NO DUES FOR VEHICLE SCRAPPING		
То			
The Registering Authority,			
The design of the second of th			
I intend to scrap my vehicle and, therefore request for the g the vehicle I intend to scrap are as follows:	grant of "no dues" for vehicle scrapping. The particulars of		
1 Name of registered owner			
2 Address of registered owner			
3 Mobile number of registered owner			
4 Email of registered owner.			
5 Vehicle registration number			
6 Class of vehicle			
7 Chassis No			
8 Engine number or motor number in the case of Battery-operated Vehicles			
9 Name of the RVSF to whom vehicle is to be handed over for scrapping			
10 Unique ID of RVSF in Vahan portal			
11 Place of RVSF/ designated collection centre			
12 Email of RVSF			
Date:			
	Signatura/digital signatura/		
	Signature/digital signature/ e-signature of registering authority"		
FORM			
[See rule 58A (2)]			
THE GRANT OF NO DUES FOR VEHICLE SCRAPPING			
"No dues" for vehicle scrapping in respect of vehicle reparticulars of this vehicle are as follows:	egistration numberis hereby granted. The		

1	Grant number of "no dues" for vehicle scrapping	
2	Date of grant of "no dues" for vehicle scrapping	
3	Name of granting authority	
4	State of granting authority	
5	Name of registered owner	
6	Address of registered owner	

7	Mobile number of registered owner	
8	Email of registered owner	
9	Registration number of vehicle	
10	Class of vehicle	
11	Chassis No	
	Engine number or motor number in the case of Battery-Operated Vehicles	
	Name of the RVSF to whom vehicle is to be handed over for scrapping	
14	Unique ID of RVSF in Vahan portal	
15	Place of RVSF/ designated collection centre	
16	Email of RVSF	

_			
Data			
Date.	 	 	

Signature/digital signature/

e-signature of registering authority".

[F. No. RT-23013/01/2018-T]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 590 (e), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number(E), dated the